रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 1

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 496] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 23, 1986/कार्तिक 1, 1908
No. 496] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 1986/KARTIKA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1986

सं 440/86 – केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 1164(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 413/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 15 सितम्बर, 1986 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1986 का 5) की

अनुसूची के अध्याय 57 के अंतर्गत आने वाले हाथ से बने गलीचे को (चाहे बुनाई पूर्व या बुनाई पश्चात् संक्रियाओं के दौरान बेहतर परिसज्जा के लिए कोई मशीन प्रयोग की गई हो या नहीं), उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, छूट देती है।

[फा सं 59/4/86 – सी. शु. 2]

सी. पी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 1986

NO. 440|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1164(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 413|86-Central Excises, dated the 15th September, 1936, the Central Government hereby exempts hand-made carpets (whether or not any machines have been used to achieve better finish during pre-weaving or post-weaving operations), falling within Chapter 57 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule.

[F. No. 59|4|86-CX.2]

C. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986